आवेदन के साथ दस रुपये की फीस संलग्न होगी और साधारणतया उसमें, उपबंधों को छोड़कर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा उस आवेदक का पता अंतर्विष्ट करते हुए पांच सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे :

परंतु किसी भी आवेदन को केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि उसमें पांच सौ से अधिक शब्द हैं।

4. सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस.— अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दरों पर प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ए-3 और उससे छोटे आकार के कागज के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी फोटोप्रति की वास्तविक लागत या कीमत;

(ग) नमूनों अथवा प्रतिमानों के लिए वास्तविक लागत या कीमत;

(घ) प्रत्येक डिस्केट या फ्लापी के लिए पचास रुपए;

(ङ) किसी प्रकाशन के लिए नियत कीमत अथवा प्रकाशन से उद्धरणों के लिए फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए;

(च) अभिलेखों का निरीक्षण करने के संबंध में निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं है और पश्चात्वर्ती प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपए की फीस; और

(छ) सूचना प्रदान करने में अंतवर्लित उतना डाक प्रभार जितना पचास रुपए से अधिक हो।

5. फीस के संदाय से छूट.— नियम 3 और नियम 4 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे का हो, परंतु यह तब जबकि इसके बारे में समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न हो।

6. फीस के संदाय का ढंग.— इन नियमों के अधीन फीस का संदाय निम्नलिखित किसी भी रीति में किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति, लोक प्राधिकारी को अथवा लोक प्राधिकरण के केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद रूप में, उसकी समुचित रसीद लेकर;

(ख) लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा; या

(ग) लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा,